न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 34 / 2023

अनवान : –

1. कान्ता पत्नी हरिसिंह जाति भार्गव निवासी भूकरका तहसील नोहर।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री सत्यनारायण कायल अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय **दिनांकः-** 29/02/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 763 / 765 की कुल 2.8080 हैक्ट भूमि में से 1 / 6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 640 / 645 की कुल 8.0940 हैक्ट भूमि में से 527 / 4047 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का पता नाथूसरी तहसील चौपटा दर्ज है जो कि सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का वास्तविक व सही पता प्रार्थी के दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में भूकरका तहसील नोहर दर्ज है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना पता नाथूसरी तहसील चौपटा के स्थान पर अपना सही व वास्तविक पता भूकरका तहसील नोहर दर्ज करवा पाने की अधिकारी है।

प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थीया का नाथूसरी तहसील चौपटा के स्थान पर भूकरका तहसील नोहर दर्ज कर देवे जिससे प्रार्थीया का कोई हिस्सा कम अथवा ज्यादा नही होना केवल नाम ही सशोधित होना है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार राजस्व नोहर द्वारा [illegible] प्रेषित की गई प्रार्थीया का पता सही करने बाबत विधिसम्मत कार्यवाही किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:07:09 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीया का सही भूकरका तहसील नोहर है जबकि राजस्व

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

रिकार्ड में प्रार्थी का नाम नाथूसरी तहसील चौपटा दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थीया के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही पता भूकरका तहसील नोहर दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 87/90 की कुल 3.7020 हैक्ट भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी अपना नाम भगतुराम पुत्र ख्यालीराम के स्थान पर भगतराम पुत्र ख्यालीराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में प्रार्थी का नाम भगतराम पुत्र ख्यालीराम अंकित है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 763/765 की कुल 2.8080 हैक्ट भूमि में से 1/6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 640/645 की कुल 8.0940 हैक्ट भूमि में से 527/4047 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का पता **नाथुसरी चौपटा के स्थान पर भूकरका तहसील नोहर का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीया के पते नाथूसरी तहसील चौपटा नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थीया के पते नाथूसरी तहसील चौपटा के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का प्रार्थीया का पता नाथूसरी तहसील चौपटा ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 29/02/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:07:09 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नोहर

पीठासीन अधिकारी : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

क्रमांक : रीडर / सशोधन / 2023 / 207 दिनांक : 4/3/2024

तहसीलदार,

नोहर।

विषय :– प्रकरण स0 34 / 2023 अनवानी कान्ता बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 29/02/2024 की पालना करवाने के संबंध में।

प्रकरण संख्या – 34 / 2023

अनवान : –

1. कान्ता पत्नी हरिसिंह जाति भार्गव निवासी भूकरका तहसील नोहर।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 763 / 765 की कुल 2.8080 हैक्ट भूमि में से 1 / 6 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता संख्या 640 / 645 की कुल 8.0940 हैक्ट भूमि में से 527 / 4047 हिस्सा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त वाद भूमि में प्रार्थीया का पता **नाथुसरी चौपटा के स्थान पर भूकरका तहसील नोहर का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थीया के पते नाथूसरी तहसील चौपटा नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थीया के पते नाथूसरी तहसील चौपटा के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का प्रार्थीया का पता नाथूसरी तहसील चौपटा ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेदार होगी। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 12:07:09 IST
Reason: SelfAttested